राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः 12(13) आ.प्र.एवं सहा./स्टोर/2020/3981–89 जयपुर, दिनांक 16-3-21

<u>खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या 1/2020–21</u>

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, खाद्य भवन, जयपुर राज. में निम्न उपकरण आपूर्ति हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है :–

क्र. सं.	उपकरणों का विवरण एवं संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपयों में)	बोली प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय
1	लेपटॉप 6 नग	6.00	बोलीदाताओं द्वारा प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जायेगी।	500	21.03.2021 5:00 PM	22.03.2021 11:00 PM	22.03.2021 12:00 PM
2	स्केनर 2 नग	0.50		200	21.03.2021 5:00 PM	22.03.2021 11:00 PM	22.03.2021 12:00 PM

बोली प्रपत्र निर्धारित शुल्क नकद/डी.डी./बैंकर्स चैक. जो कि संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के नाम से जारी हो, जमा करवाकर कार्यालय कार्यदिवसों में दिनांक 16.03.2021 से प्राप्त किया जा सकता है अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं dmrelief.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल से डाउनलोड किये गये बोली पत्र के निर्धारित शुल्क क्रमशः रूपये 500–200/– का डी.डी./बैंकर्स चैक बोलीदाता द्वारा संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के नाम से तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न करना होगा। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। बिड प्रपत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नही जाएगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति की घोषणा 50 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा–बोली पर विचार नही किया जायेगा, प्राप्त बोली इस हेतु गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. ....सदस्य उपापन समिति को देकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के समय संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग के कक्ष में अनिवार्यता उपस्थित रहे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
6. प्रोग्रामर, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
7. प्रशासनिक अधिकारी, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग जयपुर।
8. कम्प्युटर शाखा, आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग को उक्त नोटिस राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय वैब साईट पर अपलोड करने बाबत।
9. लेखा (भुगतान) शाखा, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

निविदा प्रपत्र

1. कार्य/सामग्री का विवरण जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई :– लैपटॉप/स्केनर
2. फर्म का नाम व स्थाई पता :– ....

   ....

   दूरभाष नम्बर..ई–मेल पता...
3. फर्म/प्राधिकृत डीलर/एजेन्ट/अन्य का पंजीयन क्रमांक... (विनिर्माता या डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।)
4. निविदा शुल्क क्रमशः राशि रू. 500–200/– जमा कराने का विवरण – डीडी/बैंकर चैक संख्या..........................दिनांक.......................(संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के नाम से देय)
5. बोली प्रतिभूति राशि रू. .... जमा कराने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 द्वारा 50रू. के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में Bid-Securing Declaration प्रस्तुत करना है (फार्म संलग्न)।
6. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का विवरण :..
7. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नम्बर : ....
8. मैने/हमने निविदा में अंकित सामग्री का तकनीकी स्पेशिफिकेशन पढ़/समझ लिया है तथा उसी के अनुरूप दरें प्रस्तुत कर सामग्री आपूर्ति की जावेगी।
9. इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पास सुरक्षित है।

मैने/हमने संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 01/2020–21 में वर्णित, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हें मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है तथा मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है।

दिनांक.................................

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

निविदा की शर्ते :–निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशो ं के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाताओ ं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
2. निविदादाता का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
3. निविदा प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे ं निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
4. दर शब्दों एवं अंको ं दोनो में लिखी जाएगी। इसमे ं कोई त्रुटियां (म्ततवते) एवं /या उपरिलेखन नही ं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर (फर्म की मुहर सहित) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दो ं में अन्तर होने पर शब्दो ं में अकित राशि मान्य होगी।
5. विधि मान्यता–बिड वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक से 10 दिन तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
6. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसन े प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानी पूर्वक जॉच करली हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
8. विशेष विवरण :–
   1– प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी।
   2– क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, का निर्णय निविदादाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
   3– वारंटी एवं गारंटी –निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओ की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालो/ स्टोर्स/वस्तुओ ं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालो/ स्टोर्स/वस्तुओ ं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालो/ स्टोर्स/वस्तुओ ं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्ते के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
9. निविदादाता को निर्धारित तकनीकी योग्यता पूर्ण करना आवश्यक है तथा निविदा दाता द्वारा आवश्यक समस्त दस्तावेज संलग्न करने होगे।
10. तकनीकी मूल्यांकन :– उपापन समिति द्वारा मूल्यांकन करने पर Technical criteria पूर्ण करने वाली तथा specifications के अनुरूप सामान की सप्लाई करने मे सक्षम निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी मापदंड पूर्ण नहीं करने वाली बिड रदद कर दी जाएगी।

11. **Financial Evaluation :-** RTPP नियम 58 के अनुसार वित्तीय बोलियो ं की सारणी बनाकर L, फर्म का निर्धारण किया जाएगा।

12. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनो ं के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो ं एवं तत्समान परीक्षण गृहो ं में कराया जाएगा तथा जहॉ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणो ं के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

13. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

14. रद्द करना (**Rejection**) :–

1– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

2– तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणो ं से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरो ं में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

15. रद्द की गई वस्तुओ ं को निविदादाता उन्हे ं रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि ,क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बिडदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियो ं की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

18. सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह आपूर्ति आदेश की दिनांक से 5 दिवस की अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा:–

1– मात्रा की सीमा–आदेश फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (त्मचमंज व्तकमते) भी निविदा में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेगं`, परन्तु शर्त यह कि ऐस` पुनरादशे ा मलू रूप में (बिड सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बिडदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बिड द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदादत्त वस्तुओ ं की खरीद नही करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

19. बोली प्रतिभूति : निविदा के साथ, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.2 (1) वित्त G & T -SPFC/2017 दिनांक 23/12/2020 के अनुसार 50 रू. के स्टाम्प पर Bid-Securing Declaration प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना प्राप्त निविदाओ ं पर विचार नहीं किया जाएगा।

20. प्रतिभूति राशि का समपहरणः बिड प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में निविदादाता द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा।

1– जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमे उपान्तरण (डवकपपिबंजपवद) करता हैं।

2– जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

3– जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

4– जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदशे । के अनुसार मदो ं की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

21. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance security deposit)

1. सफल निविदादाता को 7 दिवस की अवधि में कार्यादेश की राशि की 2.5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार पत्र निष्पादित करना होगा।
2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. निविदा कार्य निष्पादन राशि संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पक्ष में बैक गारटी, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चकै के रूप मे ं जमा करायी जा सकती हैं।
4. निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानो ं के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उघोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के .5 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। अन्य के लिए यह 2.5 प्रतिशत होगी।
5. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें

22. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण' बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

1. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढग से करने मे ं असफल रहा हो।
3. जब सप्लाई किया गया सामान निर्धारित स्पेसिफिकेशन तथा गुणवत्ता के अनुरूप न हो।
4. निविदा प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

23. भुगतान :

1– सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2– विवादास्पद मदो ं के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

3– उन मामलो ं के संबंध में जिनमे ं परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे।

24. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ठ समय को संविदा के सार के रूप मे ं समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

25. परिनिर्धारित क्षति (स्पुनपकंजमक कंउंहमे) :परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली

निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मलू यो ं के लिए की जाएगी जिनकी बिडदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं :–

1– विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2– एक चौथाई अधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

3– आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

4– विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5– विलम्ब की अवधि मे ं आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा

6– परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7– यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओ ं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8– यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

26. वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयो, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालो की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिकवीडेटेडडेमेजज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

27. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

28. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओ कि लिए बिडदाता ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिकं को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।

29. उपापन समिति को सामान की मात्रा को कम या ज्यादा करने तथा निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार तथा किसी बोली या समस्त बोलियो को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

30. लेपटोप/स्केनर की आपूर्ति दिये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सप्लाई की जावेगी।

31. सामग्री की अदायगी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग में दी जायेगी। जिसके लिए अलग से माल भाडा और installation का खर्च देय नहीं होगा।

32. सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।

33. निविदा में संशोधन http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय बेवसाईट http://dmrelief.rajasthan.gov. पर ही निविदा जारी करने के उपरान्तकिये जायेगे। निविदादाताओ द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

34. निविदा दाता द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं अनुभव संबंधी योग्यता का पूरा होना आवश्यक है अन्यथा निविदा अमान्य होगी।

35. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान भी लागू होगे।

36. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

37. समस्त विधिक कार्यवाही जयपुर में स्थित न्यायालयो में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

38. निविदादाता के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का टर्नओवर कम से कम 5 लाख रूपये आपूर्ति किए जाने वाले कार्य में होना अनिवार्य है। जिसके लिए निविदादाता को सी.ए. का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

39. अंतिम रूप से स्व। जारी होने पर सफल बोली दाता द्वारा 5 दिवस में अनुबंध पत्र भर कर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

40. मैने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैने/हमने कार्यालय आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 01/2020–21 में वर्णित, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है।

दिनांक.............................

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :--

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Signature of bidder

Annexure-G

<u>फर्म द्वारा शपथ पत्र</u>

मै/हम (फर्म का प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम) .... घोषणा करता/करते हैं कि हमारी फर्म .... को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम पूर्ण नाम व पता

(सील सहित)

Government of Rajasthan

Disaster Management, Relief & Civil Defence Department

Scanner Specifications

Scanning Technology	CIS
Scanner Type	Sheet Fed
Document Size	Legal
Optical Resolutiom (Dpi)	600
Maximum Resolution (Dpi)	600
Monochrome Scan Speed	24 ppm/48 ipm
Colour Scan Speed	24 ppm/48 ipm
Colour Depth (Bits)	24
Paper Weight Handling Capacity (GSM)	209
Scanning Feature	Duplex
Paper Path	Straight
Multi Fed Detection Feature	Yes
Automatic Document Feeder (ADF)	Available
ADF Tray Capacity (Number of sheets)	60
USB interface	2.0
Network Interface	Not Available
Wi-fi Interface	Not available
OS Compatibility	Windows 8.1 32 bit
Daily Duty Cycle (Number of Pages)	3500
Scan File Formats	PDF, JPEG, TIFF
Bundled Softwares	ISIS/ TWAIN DRIVER
Power Consumption in Standby mode (Watts)	1.4
Power Consumption in Operational mode (Watts)	19
BIS Registration as per Compulsory Registration Scheme under Gazette of India Notification no. S.O. 2357(E) dated 07/09/2012 issued by Department of Electronics and Information Technology	Yes
BIS Registration Number and Its validity	R-41001279,Sept.2024
Operating Temperature Range (Degree C)	10
Operating Humidity (% RH)	30
Dimensions (W x D x H) (mm x mm x mm)	20
Weight (Kg)	80
On Site OEM Warranty (Year)	1

Government of Rajasthan
Disaster Management Relief & Civil Defence Department

Laptop specification

s.no.	Parameter	Minimum Specification
1	Processor	inter core i7 10th generation or higher, 2.80 GHz or Higher
2	Memory	8 GB RAM
3	Storage	512 SSD
4	Display	15.6 inch
5	I/O Ports	Min 3 USB Port or Higher (min 2 USB 3.0), Headphone , Microphone, VGA/DP port, HDMI Port
6	Network Feature	10/100/1000 on board integrated network port
7	Operating System	Genuine Window 10 Professional should be per installed
8	Antivirus	Antivirus (Latest Version of Quick heal)
9	Warranty	3 Years Comprehensive on site OEM warranty from the data of installation
10	Accessories	All necessary cables (power & date cable) to be included
11	Certification	Window Certified

Government of Rajasthan
Disaster Management, Relief & Civil Defence Department

Scanner Specifications

Scanning Technology	
Scanner Type	
Document Size	
Optical Resolutiom (Dpi)	
Maximum Resolution (Dpi)	
Monochrome Scan Speed	
Colour Scan Speed	
Colour Depth (Bits)	
Paper Weight Handling Capacity (GSM)	
Scanning Feature	
Paper Path	
Multi Fed Detection Feature	
Automatic Document Feeder (ADF)	
ADF Tray Capacity (Number of sheets)	
USB interface	
Network Interface	
Wi-fi Interface	
OS Compatibility	
Daily Duty Cycle (Number of Pages)	
Scan File Formats	
Bundled Softwares	
Power Consumption in Standby mode (Watts)	
Power Consumption in Operational mode (Watts)	
BIS Registration as per Compulsory Registration Scheme under Gazette of India Notification no. S.O. 2357(E) dated 07/09/2012 issued by Department of Electronics and Information Technology	
BIS Registration Number and Its validity	
Operating Temperature Range (Degree C)	
Operating Humidity (% RH)	
Dimensions (W x D x H) (mm x mm x mm)	
Weight (Kg)	
On Site OEM Warranty (Year)	

नोटः— निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले स्कैनर के सम्बन्ध में तकनीकी स्पेशिफिकेशन उपरोक्त प्रारूप में पूर्ति आवश्यक रूप से की जावेगी अन्यथा तकनीकी बिड असफल मानते हुए निरस्त कर दी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
Disaster Management Relief & Civil Defence Department

Laptop specification

s.no.	Parameter	
1	Processor	
2	Memory	
3	Storage	
4	Display	
5	I/O Ports	
6	Network Feature	
7	Operating System	
8	Antivirus	
9	Warranty	
10	Accessories	
11	Certification	

नोटः– निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले लैपटॉप के सम्बन्ध में तकनीकी स्पेशिफिकेशन उपरोक्त प्रारूप में पूर्ति आवश्यक रूप से की जावेगी अन्यथा तकनीकी बिड असफल मानते हुए निरस्त कर दी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

वित्तीय बोली

लैपटॉप की आपूर्ति

1. निविदा दाता का नाम : ....
2. पूरा पता : ....
....

3. सम्बोधित : कार्यालय आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक 01 / 2020–21
5. सामग्री का नाम : लैपटॉप

S. No.	Item description	Unit	Quantity	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties exclusing GST)	GST on unit rate (in %) if applicable	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties including GST)	Total amount (in INR) (inclusive of all govt. taxes, other levie duties and GST)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=7*4
1	Laptop as per technical specification	Per Unit	6				

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

वित्तीय बोली

स्केनर की आपूर्ति

1. निविदा दाता का नाम : ....
2. पूरा पता : ....
....
3. सम्बोधित : कार्यालय आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक 01/2020–21
5. सामग्री का नाम : स्केनर

S. No.	Item description	Unit	Quantity	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties exclusing GST)	GST on unit rate (in %) if applicable	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties including GST)	Total amount (in INR) (inclusive of all govt. taxes, other levie duties and GST)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=7*4
1	Scanner as per technical specification	Per Unit	2				

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील